न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिंह, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 107/2022
वादी :— बगदाराम पुत्र श्री शंकरराम, जाति मेघवाल निवासी कलरू, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. सुखी देवी पत्नी श्रीराम
2. दिनेश पुत्र पदमाराम
3. विक्रम पुत्र पदमाराम
4. छोटूड़ी पत्नी पदमाराम
5. ग्यारसी पुत्री पदमाराम
6. मंजु पुत्री पदमाराम
7. चुनाराम पुत्र गणेशराम
8. जोराराम पुत्र गणेशराम
9. जानकी पत्नी हापूराम
10. बुधाराम पुत्र हापूराम
11. केलमी पुत्री माधूराम
12. पपुड़ी पुत्री माधूराम
13. छोटाराम पुत्र माधूराम
14. भेनाराम पुत्र माधूराम
15. पांचाराम पुत्र माधूराम फौत के कायम मुकाम् :—
    - 15/1 सतुराम पुत्र पांचाराम
    - 15/2 पहलादराम पुत्र पांचाराम
    - 15/3 मोकली पत्नी पांचाराम
    - 15/4 मंजू पुत्री पांचाराम
    - 15/5 डालकी पुत्री पांचाराम
    - 15/6 पूजा पुत्री पांचाराम
    - 15/7 सुमन पुत्री पांचाराम
16. मदाराम पुत्र शंकरराम

(मोहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

17.कालूराम पुत्र शंकरराम

18.कालूराम दतक पुत्र गुलाराम

19.धोकलराम पुत्र शंकरराम

समस्त जातियान बावरी, निवासीगण ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

20.श्रीमान तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 से 19 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या– 20 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक 3/7/23

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की सयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद जमीन ग्राम हरियाढाणा की राजस्व सीमा में खसरा सं. 1102 रकबा 2.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा सं. 1113 रकबा 0.6715 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा सं. 1120 रकबा 1.3187 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा सं. 941 रकबा 0.9627 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा सं. 942 रकबा 2.7021 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 5 कुल रकबा 7.8150 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 509/7815 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1054/7815 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 से 15 का स्थित है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 15 की सयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद जमीन ग्राम हरियाढाणा की राजस्व सीमा में खसरा सं. 902 रकबा 1.9012 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। जिसमें वादी का 1/15 व प्रतिवादीगण शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 2 से 19 का स्थित है। वादी के पूर्व खातेदार वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर अलग–अलग काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नही किया गया है। वादी अपने हिस्से अनुसार माप व सीमाज्ञान कर बंटवाड़ा किया जाकर कानूनन राजस्व रेकर्ड व आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाना चाहता है। वादी अपने हिस्से की भूमि में समय समय पर सुधार कार्य करवाता रहा अब और सुधार कार्य करवाने हेतु अपना हिस्सा को अलग करवाकर जमीन को उपजाऊ व कीमतीी बनाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बंटवाड़ा बाबत् प्रस्ताव कई बार रखा लेकिन किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर टालम टोल करते रहे। वादी ने दिनांक 19.08.2022 को हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर अलग–अलग दर्ज करवाने की बात प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने एलानिया बंटवाड़ा करने से मना कर दिया। वादी को राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का पूर्णरूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि में मौके पर आपसी सहमति से करीब 40 वर्ष पूर्व किये गये आपसी सहमति से बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में जरूरी है। वादी आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े अनुसार अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए बंटवाड़ा का वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की आई हुई है मौके पर नाप चौप कर आपसी सहमति से पक्षकारों द्वारा बंटवाड़ा किया हुआ है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना शेष है। वादी के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का वादी को जबदस्ती उपयोग व उपभोग नही करने देगे तथा किसी भी सूरत में राजस्व रेकर्ड व मौके पर बंटवाड़ा नही होने देंगे, ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण की किसी प्रकार से दखलंदाजी उत्पन्न नही करे जयि स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 27.03.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 902 रकबा 1.9012 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में स्थित वादी के 1/15 वॉ हिस्से का तथा इसी प्रकार हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1102 रकबा 2.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.6715 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.3187 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 941 रकबा 0.9627 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 942 रकबा 2.7021 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में स्थित वादी के 509/7815 वॉ हिस्से का बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि अलग कर बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है खसरा नम्बर 902 रकबा 0.6337 हैक्टेयर वादी बगदाराम पुत्र श्री शंकरराम, जाति मेघवाल सा. कलरू, मेड़ता खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 902/1 रकबा 1.2675 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 16 से 19 कालूराम पुत्र शंकरराम 1/6 हिस्सा, धोकलराम पुत्र शंकरराम 1/6 हिस्सा, मदाराम पुत्र शंकरराम 1/6 हिस्सा, कालूराम पुत्र गुलाराम 1/2 हिस्सा जातियान बावरी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 1102 रकबा 2.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 941 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 942 रकबा 2.7021 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 15/7 सुखीदेवी वगैरा जातियान बावरी सा. देह खातेदार के बंट में बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 16.06.2023 के अनुसार रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/7/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

बगदाराम सुखीदेवी वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 107 / 2022

निर्णय दिनांक :– 3/7/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 20 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 902 रकबा 0.6337 हैक्टेयर वादी बगदाराम पुत्र श्री शंकरराम, जाति मेघवाल सा. कलरू, मेड़ता खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 902 / 1 रकबा 1.2675 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 16 से 19 कालूराम पुत्र शंकरराम 1 / 6 हिस्सा, धोकलराम पुत्र शंकरराम 1 / 6 हिस्सा, मदाराम पुत्र शंकरराम 1 / 6 हिस्सा, कालूराम पुत्र गुलाराम 1 / 2 हिस्सा जातियान बावरी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 1102 रकबा 2.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.6715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 941 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 942 रकबा 2. 7021 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 15 / 7 सुखीदेवी वगैरा जातियान बावरी सा. देह खातेदार के बंट में बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 16.06.2023 के अनुसार रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3/7/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते